## ई.एस.एस.ओ – राष्ट्रीयपृथ्वीविज्ञानअध्ययनकेंद्र

## पृथ्वी विज्ञानमंत्रालय, भारतसरकार

## ESSO - NATIONAL CENTRE FOR EARTH SCIENCE STUDIES Ministry of Earth Sciences, Govt. of India

सं. रा पृ वि अ कें/का&सा प्र/1236/2018 No. NCESS/P&GA/1236/2018

दिनांक/Date: 25.04.2018

## कार्यालय आदेश OFFICE ORDER

विषय/Sub: अर्जित अवकाश (ईएल) और संतान देखभाल अवकाश (सीसीएल) का लाभ-स्पष्टीकरण-संबंधित:/

Availing of Earned Leave (EL) & Child Care Leave (CCL)-Clarification-Regarding:

संदर्भ/Ref: 1.डीओपीटी का ज्ञा.No.13018 / 2/2008-ई एस एस टी. (एल) दिनांक 11.09.2008 DoPTOM.No.13018/2/2008-Esst. (L) Dated 11.09.2008

2.का ज्ञा नंबर **रा पृ वि अ कें**/प्रशा/1236 दिनांक 18.9.2017

OM No.NCESS/Adm/1236 dated 18.9.2017

यह देखा गया है कि कर्मचारी स्वीकृत प्राधिकरण से अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना अल्प अविध सूचना पर अर्जित अवकाश (ईएल) और संतान देखभाल अवकाश (सीसीएल) का लाभ उठा रहे हैं। यह ऊपर संदर्भित किए डीओपीटी का ज्ञा के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है, जो यह निर्धारित करता है कि " अवकाश अधिकार की बात के रूप में मांग किया नहीं जा सकता और छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकार कर सकता है या रद्द कर सकता है"। इस संबंध में, सख्त अनुपालन के लिए कर्मचारियों के ध्यान में निम्नलिखित दिशानिर्देश लाए जाते हैं।

It is noticed that employees are availing Earned leave (EL) and Child Care Leave (CCL) on short notice without waiting for the approval from the sanctioning authority. This is not in accordance with the guidelines of DoPT OM referred above which stipulates that "Leave cannot be demanded as a matter of right and the leave sanctioning authority may refuse or revoke leave of any kind". In this connection, the following guidelines are brought to the notice of staff for strict compliance.

1. किसी भी परिस्थिति में कोई कर्मचारी ईएल / सीसीएल पर छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी द्वारा छुट्टी के पूर्व उचित अनुमोदन के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है,भले ही अवकाश के दिनों की संख्या के लिए आवेदन लागू किया जाए।

Under no circumstances can any employee proceed on EL/ CCL without prior proper approval of the leave by the leave sanctioning authority irrespective of the number of days leave is applied for.

2. ईएल और सीसीएल के मामले में, निदेशक, रा पृ वि अ कें 10 दिनों से अधिक की छुट्टी की मांग के लिए स्वीकृति प्राधिकारी होंगे। हमेशा की तरह, इस तरह के छुट्टी आवेदन भी रिपोर्टिंग अधिकारी के माध्यम से भेजा जाएगा

In the case of EL and CCL, Director, NCESS will be the sanctioning authority for requisition of leave exceeding 10 days. As usual, such leave applications shall also be routed through the reporting officer.

(देखिए निदेशक का अनुमोदन दिनांक25.04.2018) (Vide approval of the Director dated 25.04.2018)

> मुख्य प्रबन्धक (प्रभारी) Chief Manager (i/c)